

प्रेषक,

आशीष तिवारी  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 15 दिसम्बर 2017

विषय:- कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिदूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

... महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ पत्र संख्या-1133/कानपुर/22879/2016, दिनांक 23-10-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिदूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में आर0 ई0सी0 की बैठक में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख शासन को निम्नवत उपलब्ध कराया गया है:-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिंहित की गयी ग्राम हालामऊ तहसील बिल्हौर  
जिला कानपुर की भूमि की-

- (1) चयनित वनभूमि का डिजिटल मैप ।
- (2) उक्त स्थल का चिन्हित टोपोशीट ।
- (3) उक्त स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र ।
- (4) के0एम0एल0फाईल की सी0डी0

2- कृपया तदनुसार मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोपरि।


भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव

संख्या-2437 (1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(मनोज कुमार सिंह)  
अनु सचिव।